तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशनसिह बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण संख्या 44/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/2022	पत्रावली आज प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र आधार कार्ड व बयान के आधार पर विशनसिह व किशनसिह एक ही व्यक्ति होना बताया गया। जिसमे तहसीलदार लूणी से जॉच रिपोर्ट मगवाई गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मे ग्राम गोलिया मगरा की जमाबन्दी सवत 2076—2079 के खसरा नम्बर 253, 254, 324/249 मे दर्ज विशनसिह पुत्र किशोरसिह व किशनसिह पुत्र किशोरसिह एक ही व्यक्ति होना बताया गया व तहसीलदार लूणी द्वारा भी अनुशंषा की गई की विशनसिंह व किशनसिंह एक की व्यक्ति होना बताया गया। अतः— प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोलिया मगरा के खसरा नम्बर 235, 254, 324/249 मे प्रार्थी का नाम विशनसिंह पुत्र किशोरसिंह के स्थान पर किशनसिंह पुत्र किशोरसिंह राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावे। माफिक उपरोक्त आदेश की तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। 14/05/22 SDM-LUNI सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी 14/5/22 N.L.A.	

2022/177